09/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कृष्णा चौधरी V/s राजस्थान सरकार TDR लूणी	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 09 / 2024 (2024 / 52) कृष्णा चौधरी वगैरा बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम

02-6-2024 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम बावत राजस्व नक्शे में की गई ऑन लाईन तरमीम निरस्त करने का पेश कर निवेदन किया है। कि प्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी खेत खसरा नम्बर 466 / 4 रकबा 2.7438 हैक्टेयर भूमि ग्राम चावड़ो की ढाणी तहसील लूणी में आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण सयुंक्त रूप से काबिज है। ऑनलाईन करते समय सहवन व त्रुटिवश राजस्व नक्शे में गलत व अशुद्व तरमीम इन्द्राज कर दी जहां पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। वहां पर ऑनलाईन तरमीम राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 466 / 6 कर दी गई लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 466 / 6 पर कब्जा काश्त हम प्रार्थीगण का चला आ रहा है। भविष्य मे किसी प्रकार का विवाद की स्थिति न हो इसलिए प्रार्थीगण ने ग्राम चावड़ो की ढाणी के खसरा नम्बर 466 / 4 की ऑनलाईन राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त अनुसार सही करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तामिल हेतु भिजवाये गये। तामिल शुद्वा नोटिस शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल कि गई।

पत्रावली मय सलंग्न दस्तावेजो एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार ग्राम चावड़ो की ढ़ाणी के खसरा नम्वर 466 / 4 रकबा 2.7438 हैक्टेयर भूमि के स्थान पर खसरा नम्वर 466 / 6 की तरमीम सही करके खसरा नम्बर 466 के अन्य वट्टा नम्बरो की तरमीम प्रभावित हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा सभी हितवद्व पक्षकारों को संयोजित नही किया गया जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी